

मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2014

क्रमांक एफ 3-30/2012/29-2 प्रदेश को भंडारण एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु निजी पूंजी निवेश के माध्यम से अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित किये जाने की जारी वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति-2012 समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2012 से 2 वर्ष के लिए जारी की गई है।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति-2012 अंतर्गत निजी पूंजी निवेश के माध्यम से गोदाम निर्माण की समयावधि में, 15 लाख मे. टन के भंडारण क्षमता पूर्ण होने अथवा दिनांक 24.09.2014 से आगामी 2 वर्ष (जो भी पहले हो) तक के लिए वृद्धि करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


07/10/2014
(बी.के. चन्देल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ.क्र. एफ 3-30/2012/29-2

भोपाल, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि: सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, ना.आपू.एवं उप.सं. विभाग भोपाल।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल।
9. आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग, विंध्याचल भवन-भोपाल ।
10. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन भोपाल।
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड, भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
14. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्राईफेक, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी-भोपाल।


07/10/2014
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग